बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ0सं0–01/स्था0 (विविध)–09/2024 6360**/न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक–**11/06/26

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–667/गो0मु0स0 दिनांक–26.05.2026 के आलोक में उर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों की उचित उपयोग के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराने एवं उक्त विषय से सबंधित सचिव, उर्जा विभाग के मासिक बैठक में सम्मलित होने हेतु विभाग स्तर पर श्रीमती सुरभि सिन्हा (मोबाईल नं0–6202854181), परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(मृत्युंजय कुमार),
विशेष कार्य पादाधिकारी।

ज्ञापांक–01/स्था0(विविध)–09/2024 6360 /न0वि0एवं.आ0वि0, पटना, दिनांक–11/06/26

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–667/गो0मु0स0 दिनांक–26.05.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/कर्मी/श्रीमती सुरभि सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/बिहार राज्य एवं आवास बोर्ड/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना/सभी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/महाप्रबंधक (कार्य), पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड/अध्यक्ष, नगरपालिका भवन न्यायाधीकरण–01/नगरपालिका भवन न्यायाधीकरण–02/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक/सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी/सहायक (नगर योजना) टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक, सभी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री पंकज कुमार, आई0टी0प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–667/गो0मु0स0 दिनांक–26.05.2026 में उर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों का अपने–अपने कार्यालयों में दृढ़ता से अनुपालन किये जाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

Mk 11.6.26
विशेष कार्य पादाधिकारी।

(3)

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(मुख्य सचिव कोषांग)

पत्रांक : 667/ मु० स०   पटना, दिनांक : 26/05/2026

AS(MK)
DS(RRT)

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिलाधिकारी बिहार।

27 MAY 2026

विषय— **ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:—

1. Video Conferencing (VC) के माध्यम से बैठकों का आयोजन :—

राज्यस्तरीय बैठकों का आयोजन VC के माध्यम से ही किया जाय। इसी प्रकार जिला स्तरीय समीक्षात्मक/समन्वय बैठकों का आयोजन भी VC के माध्यम से ही किया जाय। विशेष परिस्थितियों में ही भौतिक बैठकों (physical meeting) का आयोजन किया जाए।

2. ईंधन की बचत हेतु Car Pooling को प्रोत्साहन :—

Car Pooling व्यवस्था को लागू करने हेतु सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा विभागीय स्तर पर यथोचित निदेश निर्गत किया जाय। इसी प्रकार जिला स्तर पर Car Pooling व्यवस्था को लागू करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी निदेश निर्गत करें।

3. इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन :—

नये वाहनों की खरीद की आवश्यकता होने पर यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय। सरकारी कार्यों में उपयोग हेतु भाड़ा पर वाहन लिए जाने के क्रम में भी इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाए।

7009
29/05/26

(48)

4. **ऊर्जा संरक्षण पर विशेष बल/अभियान** :-

(क) सभी विभाग मुख्यालय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित करें, जिनकी मासिक बैठक सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार के स्तर पर की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि अनावश्यक रूप से AC, बल्ब एवं अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न हो और कार्यालय अवधि के उपरांत सभी विद्युत चलित उपकरणों को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाय। इसके लिए विभागवार/कार्यालयवार Central Switching System की व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाय। इसी प्रकार संबंधित जिला पदाधिकारीगण ऊर्जा संरक्षण हेतु अपने तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में अभियान चलायेंगे।

(ख) सभी विभागाध्यक्ष यह समीक्षा कर लें कि पूर्व से अधिष्ठापित सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है अथवा नहीं। यथासंभव यह प्रयास होना चाहिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, अतिथि गृहों, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की व्यवस्था हो और इसका समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी खर्चे पर पदाधिकारियों की विदेश यात्रा पर अगले छः माह के लिए सामान्यतः प्रतिबंध रहेगा।

6. राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उनके कार्यालय से संबंधित ईंधन एवं बिजली की औसत खपत उपरोक्त उपायों के कारण पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में कम रहे।

विश्वासभाजन,

25.5.2026

(प्रत्यय अमृत)